[2018] 3 एस.सी.आर. 17

जगदीश कुमार सूद

बनाम

यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लि. और अन्य

(सिविल अपील संख्या 240 वर्ष 2017)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1994 के संशोधन अधिनियम 54 के संशोधन के रूप में 14.11.1994 से प्रभावी और आगे संशोधन 28/3/2001 से प्रभावी) - धारा 2 (21) सपठित धारा 2 (15), 2 (48) और 10 (2) (डी) - मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु - अधिकरण ने मुआवजे से सम्मानित किया, लेकिन बीमाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि दुर्घटना में शामिल यान एक हल्का माल यान था - अधिकरण ने कहा कि एक परिवहन यान चलाने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, बीमाकर्ता पर देयता को बाध्य नहीं किया जा सकता है - अभिनिर्धारित : वाद बिन्दु को मुकुंद देवांगन मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच के एक फैसले से कवर किया गया है - अधिकरण के आदेश के अनुसार बीमाकर्ता को अलग रखा गया है - देयता संयुक्त रूप और एकल रूप से, मालिक और चालक के साथ साथ बीमाकर्ता पर बाध्य किया जाएगा।

एक हमलावर ट्रक के साथ टक्कर के कारण दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीसरे प्रतिवादी के पति की मृत्यु हो गई। अधिकरण ने मुआवजे से सम्मानित किया लेकिन बीमाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि दुर्घटना में शामिल यान एक हल्का माल यान था। अधिकरण ने कहा कि परिवहन यान चलाने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण के अभाव में, बीमाकर्ता पर देयता को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अधिकरण ने बीमाकर्ता को पहले बार में भुगतान करने का निर्देश दिया और इसे कंपनी को ड्राइवर और मालिक से पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए मालिक द्वारा वर्तमान अपील।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया : न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठता है, वह अनिर्णित विषय है और मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक फैसले से आच्छादित है। बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले अधिकरण का

आदेश तदनुसार अलग रखा जाएगा। दायित्व संयुक्त और एकल रूप से होगा मालिक और ड्राइवर के अलावा बीमाकर्ता पर बाध्य किया जाना चाहिए। [पैरा 4,6] [19-ए-एफ]

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2017) 14 एस.सी.सी. 663- पर निर्भर।**

<u>केस लॉ संदर्भ</u>

(2017) 14 एससीसी 663 पैरा 4 पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील संख्या 240 वर्ष 2017।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा एफएओ संख्या 2556 वर्ष 2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.11.2014 से।(ओ एंड एम)।

आरके कपूर, सुश्री रेखा गिरि, रजत कपूर (अनीस अहमद खान के लिए) अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

एके डे, सुश्री अनन्य डे, ज़ाहिद अली (देबाशीष मिश्रा के लिए) उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,** द्वारा दिया गया,

1. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने तीसरे प्रतिवादी द्वारा दायर मुआवजे के लिए एक दावे की अनुमति दी। यह दावा 4 जनवरी 2009 को दावेदार के पति की मृत्यु से एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक हमलावर ट्रक के साथ टक्कर के कारण हुआ था। अधिकरण ने 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,08,000 रुपये की राशि प्रदान की। तीसरे प्रतिवादी द्वारा दायर एक अपील में उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 8,04,000 रुपये कर दिया। ब्याज @7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष को बढ़े मुआवजे पर पुरस्कृत किया गया था।
2. अधिकरण ने बीमाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि दुर्घटना में शामिल यान एक हल्का माल यान था। ड्राइवर के पास हल्का मोटर यान चलाने का लाइसेंस था। अधिकरण ने कहा कि परिवहन यान चलाने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण के अभाव में, बीमाकर्ता पर देयता को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अधिकरण ने बीमाकर्ता को पहले बार में भुगतान करने का निर्देश दिया और उसे चालक और मालिक से मुआवजा वसूलने की अनुमति दी। वर्तमान अपील मालिक द्वारा दायर की गई है।
3. उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाते हुए बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

4. न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठता है, वह अनिर्णित विषय है और **मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**[1] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक फैसले से आच्छादित है! जिसमें यह अन्य बातों के साथ साथ इसका अनुशरण किया गया:

> "60.1। अधिनियम के धारा 2 (21) में परिभाषित "हल्का मोटर यान" निर्धारित वजन के अनुसार एक परिवहन यान शामिल होगा धारा 2 (21) में धारा 2 (15) और 2 (48) के साथ पढ़ा गया। ऐसा परिवहन 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के आधार पर वाहनों को हल्के मोटर यान की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया है।" (पृष्ट 709 पर देखे)
>
> "60.2। एक परिवहन यान और सर्वग्राही, सकल यान वजन जिनमें से 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एक हल्की मोटर होगी यान और मोटर कार या ट्रैक्टर या एक रोडरोलर, जिसका "अनलेडेन वेट" 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस धारक को "हल्का माल यान" की श्रेणी चलाने के लिए अनुभाग में प्रदान किया गया है। 10 (2) (डी) एक परिवहन यान या सर्वग्राही चलाने के लिए सक्षम है, सकल यान का वजन 7500 किलोग्राम या एक मोटर से अधिक नहीं है कार या ट्रैक्टर या रोडरोलर, जिसका "अनलेडेन वेट" 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हल्के मोटर यान वर्ग के परिवहन यान को चलाने के लिए लाइसेंस पर कोई अलग समर्थन की आवश्यकता नहीं है। धारा के तहत जारी किया गया लाइसेंस 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के बाद 10 (2) (डी) वैध है और फॉर्म में 28-3-2001 से।" (पृष्ट 710 पर देखे)

5. उपरोक्त स्थिति के संबंध में, सिविल अपील की अनुमति देनी होगी।
6. अपील की अनुमति है, बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने वाले अधिकरण के आदेश को तदनुसार निरस्त किया जाता है। देयता संयुक्त रूप और एकल रूप से बीमाकर्ता को, मालिक और चालक के अलावा बाध्य किया जाएगा। लागत पर कोई आदेश नहीं।

विभूति भूषण बोस

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

[1] (2017) 14 एससीसी 663